अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 02/2018 अनवान् कृष्ण लाल पुत्र श्री जैसाराम जाति सुथार निवासी 2 एम लए, देव कॉलोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति सुथार निवासी 2 एमएल, देव कॉलोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, 2. पूजा पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी 2 एमएल देव कॉलोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, 3. राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.05.2018

अपीलार्थी कृष्णलाल एवं रेस्पोडेंट सुरेन्द्र कुमार उपस्थित है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी कृष्णलाल का कथन है कि उसने प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया था किन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 28.11.2017 के द्वारा उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उसके पुत्र सुरेन्द्र कुमार को 500/– रूपये प्रतिमाह अपीलार्थी को देने के आदेश दिये गये, जो रेस्पोडेंट की आय के साधन को देखते हुए उचित नही है। उसक आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है, वह बीमार रहता है और उसे अक्सर दवाईया लेनी पड़ती है। वह मात्र 500/– रूपये वृद्ध पेंशन प्राप्त कर रहा है, इसलिए भरण पोषण सम्बन्धी उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2017 विधिसम्मत् नहीं है, इसे खारिज किया जावे और उसकी अपीस स्वीकार करके भरण पोषण राशि 15000/– प्रति माह, बिजली पानी का बिल भरने के लिए रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावे एवं प्रार्थी का मकान दिलाया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत रेस्पौडेन्ट का कथन है कि रेस्पोडेंट के अतिरिक्त अपीलार्थी के दो पुत्र रामकुमार, पृथ्वीराज है किन्तु यह अपदलस अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध ही पेश की गई है। इसलिए सभी पुत्रों के विरूद्ध पेश न करने के कारण इसे इसी आधार पर खारिज किया जावे। उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने जो मकान खरीदना बताया है वह उसी मकान में रहता है और रेस्पोडेंट भी अपने परिवार के साथ उसी मकान में रहता है जो पैतृक सम्पत्ति जो दादा जैसाराम की कृषि भूमि बेचान खरीदा गया था। जिसमें 7 कमरें का निर्माण करवाया है, जिसमें से दो कमरे अप्रार्थीगण के हिस्सा में आते है, दो कमरे रामकुमार के हिस्सा/कब्जा में है तथा दो कमरे प्रार्थी ने किराये पर दे रखे है एवं एक कमरे में प्रार्थी निवास करता है। उक्त मकान के अलावा प्रार्थी ने चक 11 एलएनी में भी दो प्लॉट खरीदे है, जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने भाईयों रामकुमार व पृथ्वीराज के सहयोग से 4 कमरें तामीर किये हुए है। जिनका किराया 4000/— रूप्ये प्रतिमाह प्राप्त होता है। उक्त किराया भी प्रार्थी प्राप्त करता है तथा 750/— रूपये वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रार्थी को स्वयं के साधनों से नियमित रूप से 6750/— रूपये प्राप्त होते है। तथा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके दोनो भाईयों से प्रत्येक से 1500/— रूपये प्रतिमाह प्रार्थी द्वारा प्राप्त किये जाते है जो कि कुल 4500/— रूप्ये प्रतिमाह बनते है। इस प्रकार प्रार्थी वर्तमान में कुल 11250/— प्रतिमाह प्राप्त कर रहा है, जो उसे भरण पोषण हेतु पर्याप्त है। इसलिए उसकी अपील खारिज की जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने अपीलार्थी तथा रेस्पोडेंट के उक्त तर्को का मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 31/2017 कृष्णलाल बनाम सुरेन्द्र कुमार में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 की अप्रसन्नता से यह अपील इस न्यायालय में धारा 16(1) के तहत पेश की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को अप्रार्थी रेस्पोडेंट से प्रतिमाह 500/— दिलाये जाने के आदेश दिये गये है। प्रार्थी कृष्णलाल ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एक प्रार्थना पत्र अपने पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल एवं पूजा पत्नी सुरेन्द्र कुमार के दिनांक 12.09.2017 विरूद्ध ही पेश किया, जिसमें उसने अपना भरण पोषण करने में असमर्थ बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निम्न प्रार्थना की थी :

> अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियिम तथा कल्याण अधिनिमय 2007 की धारा 4 व 5 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से भरण पोषण तथा अन्य सुवधिओं के लिए अप्रार्थीगण से 15000/— प्रतिमाह दिलाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 को उनकी हिंसा करने से रोका जाकर मकान वाकेचक 2 एमएल, देव कॉलोनी, श्रीगंगानगर से आंशिक कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2017 को आदेश पारित किया गया है जो उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन करते हुए निम्न प्रकार से पारित किया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के तीन पुत्र क्रमशः राजकुमार, पृथ्वीराज व अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार है। जिनसे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में बराबर–बराबर भरण पोषण की मांग की जानी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी संख्या 01 से ही भरण पोषण की मांग की है जबकि अन्य दोनों बडे पुत्रों रामकुमार व पृथ्वीराज से भरण पोषण की कोई मांग नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 01 घर में सबसे छोटा व मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी पेशा से मासिक आय 6000 रूपये होती है। अप्रार्थी के स्वयं के परिवार में पत्नी पूजा दो पुत्रियां एवं एक पुत्र सहित कुल पांच सदस्य है। जिनका मासिक खर्च 6000 रूपये प्रतिमाह हो जाता है जबकि प्रार्थी को कमरों के किराये से 6000, वृद्धावस्था पेंशन से 750 तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य दोनों पुत्रों प्रत्येक से 1500–1500 सहित कुल 11250 रूपये प्रतिमाह आय हो रही है, इस कारण प्रार्थी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा ना ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

–: आदेश :–

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन से पाया कि (1) दोनों पक्षों का पूर्व में आपसी विवाद है और प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, श्रीगंगानगर के न्यायालय में परिवाद दायर कर रखा है। (2) प्रार्थी के पुत्र सुरेन्द्र कुमार ने अन्य अनुसूचित जाति की महिला से विवाह किया है जो पूर्व में शादीशुदा थी और पूर्व शादी के दौरान ही विधवा हो गई थी और अब इनकी आपस में बनती नहीं है। अतः प्रार्थीगण को पैतृक मकान से बेदखल किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को 500/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि देगा। बैंक खाता संख्या प्रार्थी अपने स्तर पर अप्रार्थी को उपलब्ध करावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11. 2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

– ह० –
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सत्य
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि वह वृद्ध है और बीमारी से ग्रस्त है और उसके पास भरण पोषण के पर्याप्त साधन नही है और इसलिए उसे रेस्पोडेन्टस से 15,000 रूपये प्रति माह भरण पोषण दिलाया जावे। इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 अवलोकनीय है जों निम्न प्रकार से है:–

> 9. **भरण पोषण हेतु आदेश**:– (1) यदि सन्तान या संबंधी , जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों का या संबंधियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय समय से निर्देश दें।
>
> **(2)** अधिकतम भरण पोषण भता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रतिमास दस हजार से अधिक नही होगा।

उक्त धारा 9(1) के तहत माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और संतान भरण पोषण करने से अपेक्षा करती है तो माता पिता अपनी संतानो से 10000रूपये प्रति माह भरण पोषण पाने के हकदार है और अधिकरण जैसा ठीक समझे भरण पोषण निर्धारण कर सकता है। धारा 9(2) के तहत ऐसा भरण पोषण भत्ता 10000 रूपये प्रति माह से अधिक देय नही होगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के तीन पुत्र—रामकुमार, पृथ्वीराज एवं अप्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र कुमार है, जिनसे प्रार्थना पत्र में बराबर—बराबर भरण पोषण की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थी ने केवल अप्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र कुमार से ही भरण पोषण की मांग की है, जबकि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी को कुल 11250/— प्रतिमाह आय हो रही है, जिसमें उसे मकान किराये से आय, पेंशन से एवं अपने दो पुत्रों से 1500—1500 रूपये भरण पोषण प्राप्त होना भी सम्मिलित है। उक्त्त आय साधनों का अपीलार्थी द्वारा विपरीत साक्ष्य पेश कर, गलत होना साबित नहीं किया गया है और न ही रेस्पोडेंट की आय के साधनों सम्बन्धी का कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश किया गया है। इसप्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी की आय को देखते हुए भरण पोषण का पर्याप्त साधन मानते हुए जो आदेश भरण पोषण के सम्बन्ध में लिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्कता नहीं हैं।

जहां तक अपीलार्थी का कथन विवादग्रस्त मकान का कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इसलिए उसकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती और रेस्पोंडेंट संख्या 02 जो अपील प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलार्थी की पुत्रवधु है, के विरूद्ध इस अधिनियम में किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती, क्योंकि पुत्रवधु अधिनियम में दी गई संतान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को आदेश दिया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तय किया गया भरण पोषण 500/– प्रतिमाह अपीलार्थी के खाते में नियमित रूप से जमा करवाये। चूंकि रेस्पोडेंट ने भरण पोषण राशि बैंक में जमा करवाने के लिए अपीलार्थी के बैंक खाता का नम्बर चाहा है, जिसके लिए अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि वह अपने बैंक खाता नम्बर का विवरण रेस्पोडेंट को उपलब्ध करवाये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर